जिसके तहत् समिति को समाप्त तथा पुनर्गठित किया जा सकता है;

(ढ) शर्तें जिसके तहत् प्रशासक धारा 30 की उप धारा (1) के अधीन भू राजस्व एकत्रित करने तथा अन्य वसूली किए जाने योग्य देय के कार्यों के लिए ग्राम परिषद को कार्य सौंप सकता है;

(त) धारा 33 की उप धारा (3) के अधीन अभिरक्षा जिसमें ग्राम परिषद निधि रख सकेगा;

(थ) धारा 36 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें कर तथा शुल्क निर्धारित तथा वसूली करेगा;

(द) धारा 40 की उप धारा (1) के अधीन फार्म जिसमें मांग नोटिस भेजेगा;

(ध) धारा 40 की उप धारा (2) के अधीन रीति जिसमें किसी मांग नोटिस देगा;

(न) धारा 41 के अधीन फार्म जिसमें आय एवं व्यय के लेखा का रखरखाव करेगा;

(य) धारा 42 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद द्वारा बजट तैयार करने का समय तथा रीति;

(फ) पद्धति जिसके तहत् धारा 43 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की लेखा का लेखा परीक्षा की जानी है;

(ब) पद्धति जिसके तहत् धारा 53 की उप धारा (3) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को आवर्तित किया जाएगा;

(भ) धारा 63 की उप धारा (1) के तहत् चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की सूचना;

(म) धारा 67 की उप धारा (1) का खण्ड (छ) के तहत् इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य;

(य) द्वीप परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 68 की उप धारा (1) के तहत् ऐसे बैठकों के लिए प्रक्रिया;

(र) पद्धति जिसके तहत् धारा 68 की उप धारा (2) के अधीन द्वीप परिषद का कोई सदस्य चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन को संकल्प और प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है;